प्रेस विज्ञप्ति
04.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय–II ने हाशपे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में 01.09.2026 को चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में स्थित 11 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत पुडुचेरी साइबर अपराध पुलिस द्वारा हाशपे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से संबंधित मामले में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी।

ईडी की जांच में पता चला कि हितेश कुमार, इमरान बाशा और सैयद उस्मान उर्फ बाबू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके "हाशपे" के नाम से एक फर्जी निवेश योजना शुरू की थी और इसे एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया था। आम लोगों को कथित "टीसीएक्स" नामक क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग के माध्यम से आकर्षक रिटर्न का झूठा आश्वासन देकर अपनी धनराशि निवेश करने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया।

जांच में पता चला कि कार्यप्रणाली में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भव्य प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना, बॉलीवुड हस्तियों को शामिल करना और व्यापक सोशल मीडिया अभियान चलाना शामिल था। हाशपे टोकन के कथित मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया, ताकि लोगों को और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके बाद निवेशकों द्वारा धनराशि निकालने की सुविधा को रोक दिया गया और एकत्र की गई धनराशि को शेल संस्थाओं, आरोपियों के सहयोगियों और रिश्तेदारों से जुड़े बैंक खातों में डायवर्ट कर दिया गया। परिणामस्वरूप, निवेशक अपनी निवेशित धनराशि और वादा किए गए रिटर्न, दोनों से वंचित हो गए। बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि ऐसी गतिविधियों के माध्यम से आरोपियों ने लगभग 40 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिसे आगे डायवर्ट किया गया और धन शोधन के उद्देश्यों के लिए लेयरिंग की गई। जांच में यह भी पता चला कि निवेशकों की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा इमरान बाशा और हितेश कुमार के व्यक्तिगत बैंक खातों के साथ–साथ उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को डायवर्ट किया गया। अपराध से अर्जित आय का उपयोग भव्य जीवनशैली के वित्तपोषण तथा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया। ईडी की जांच में हाशपे धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन गतिविधियों में इमरान बाशा और हितेश कुमार की मुख्य आरोपियों के रूप में भूमिका स्थापित हुई।

तलाशी के दौरान धन शोधन के अपराध से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इसके अलावा, इमरान बाशा और हितेश कुमार को भी 03.09.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया और माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया, जिसने दोनों आरोपियों की पांच दिनों की हिरासत मंजूर की।

आगे की जांच जारी है।